



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक, 1943 (श०)

संख्या-565 राँची, गुरुवार,

18 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2021

संख्या-11/क०च०आ०-16-08/2013 का.-7942--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 यथा संशोधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

- (i) यह नियमावली “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021” कहलाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-5-पात्रता/अहर्ता का निर्धारण की कंडिका- (ii) एवं (iii) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

“ 5(ii). अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-1 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।” ;

5(iii). अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-2 में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।” ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- “ अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-1 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/विद्युत/यांत्रिक/कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे ।

अभ्यर्थियों को उनका आवेदन पत्र आयोग में जमा होने की अंतिम तिथि तक नियमावली की अनुसूची-2 में अंकित पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति हेतु गठित नियमावली में पद विशेष के लिए अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य तकनीकी/विशिष्ट योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।”

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।”

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-7(iv) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

“राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक लागू होगा। न्यूनतम अहर्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे” ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

7(iv)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्तांक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र० सं०	कोटि	न्यूनतम अहर्तांक
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-7(vi) में निम्नांकित प्रावधान है :-

“ मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (**Equal Marks**) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिए आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा, अर्थात् समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।”;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-7(viii) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा” ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है :-

“ परीक्षा का स्वरूप

(i) सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी:-

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी स्तर की परीक्षा में कुल रिक्ति 15 गुणा से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु सफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा।” ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

“ परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी।”

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2019) के नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है :-

“ मुख्य परीक्षा (अनुसूची 1 के पदों के लिए)

इस परीक्षा में दो पत्र होंगे।

पत्र-1

सामान्य अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा

पत्र-2

विषय: अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	कनीय अभियंता सिविल	सिविल अभियंत्रण
2	कनीय अभियंता यांत्रिकी	यांत्रिकी अभियंत्रण
3	कनीय अभियंता विद्युत	विद्युत अभियंत्रण
4	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण
5	मोटरयान निरीक्षक	यांत्रिकी अभियंत्रण अथवा ऑटो मोबाईल अभियंत्रण
6	खान निरीक्षक	खनन अभियंत्रण

प्रश्न का स्तर डिप्लोमा स्तर होगा ।

टिप्पणी :-

1. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा ।
2. जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा ।

मुख्य परीक्षा (अनुसूची 2 के पदों के लिए)

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी।

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेंट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मसी
2	एक्स-रे तकनिशियन	एक्स-रे प्रावैधिकी
3	आप्यथेल्मिक सहायक	आप्यथेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

टिप्पणी :-

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है ;

“परीक्षा का स्वरूप :-

अनुसूची 1 के पदों के लिए

इस परीक्षा में दो पत्र होंगे।

पत्र-1

सामान्य अभियंत्रिकी - 80 प्रश्न

सामान्य ज्ञान - 40 प्रश्न

कुल 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा

पत्र-2

विषय: अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 2 घंटा**पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय**

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	कनीय अभियंता सिविल	सिविल अभियंत्रण
2	कनीय अभियंता यांत्रिकी	यांत्रिकी अभियंत्रण
3	कनीय अभियंता विद्युत	विद्युत अभियंत्रण
4	कनीय अभियंता (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण
5	मोटरयान निरीक्षक	यांत्रिकी अभियंत्रण अथवा ऑटो मोबाईल अभियंत्रण
6	खान निरीक्षक	खनन अभियंत्रण

प्रश्न का स्तर डिप्लोमा स्तर होगा ।

अनुसूची 2 के पदों के लिए

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी ।

पत्र-1

सामान्य अभियंत्रिकी - 120 प्रश्न

सामान्य ज्ञान - 60 प्रश्न

कुल 180 प्रश्न**परीक्षा अवधि- 3 घंटा**

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मेसी
2	एक्स-रे तकनिशियन	एक्स-रे प्रावैधिकी
3	आपथेल्मिक सहायक	आपथेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

(1) सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होगा :-

(क) **सामान्य अध्ययन:-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

सम-सामायिक विषय - वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ।

भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान- झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) **सामान्य विज्ञान:-** सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) **सामान्य गणित:-** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे ।

(घ) **मानसिक क्षमता जाँच:-** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं - सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि ।

(ङ) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic Knowledge of Computer):-** इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा ।

(3) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा ।

8. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 के नियम-7(v) (प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार किये जाने से संबंधित) एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है ।

9. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या 325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभासी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे ।

10. विभागीय संलेख ज्ञापांक 7887 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021” के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 12.11.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-30 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
